न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 72/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/136

1. मुलतानराम पुत्र बालुराम जाति ओड निवासी चक 18 पी तहसील अनूपगढ़
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र पठानी बाई उर्फ पठानी देवी पुत्री बालुराम जाति ओड निवासी चक 18 पी तहसील अनूपगढ़

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री विजय जसूजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 13 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं. 38 का मु0नं. 13 प.नं. 220/411 का कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.198है. कमाण्ड मय खाला रकबा प्रार्थी सं. 1, प्रार्थी सं. 2 राजेन्द्र कुमार की माता पठानी बाई के नाम से अन्य काश्तकार के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थी सं. 1 का 41/6198 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 की माता पठानीबाई का 41/6198 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। पठानी बाई उर्फ पठानी देवी का दिनांक 24.04.2007 को देहान्त हो चुका है। पठानी बाई उर्फ पठानी देवी के देहान्त के बाद प्रार्थी सं. 2 राजेन्द्र कुमार ही उसका एम मात्र प्रथम श्रेणी का विधिक एवं जायज वारिस है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 राजेन्द्र कुमार की माता का नाम दर्ज करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश जाति ओड के स्थान पर अरोड़ा दर्ज हो गई है जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। प्रार्थी सं. 2 की माता को पठानी बाई उर्फ पठानी देवी दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता था। प्रार्थीगण दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की जाति अरोड़ा के स्थान पर ओड व पठानी बाई उर्फ पठानी देवी दोनों नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/3521 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट रकबा पठानी बाई व मुलतानराम को जरिये विरासतन प्राप्त हुआ है। विरासतन नामान्तरकरण सं. 71 दिनांक 04.01.1996 में पठानीबाई व मुलतानराम की जाति ओड दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2050—53 में नामान्तरकरण [illegible] अंकन में जाति का अंकन नहीं है। तत्पश्चात की जमाबंदी संवत [illegible] पठानीबाई व मुलतानराम की जाति अरोड़ा का अंकन [illegible] आ रहा है।
3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थीगण की जाति संहवन से ओड के स्थान पर अरोड़ा [illegible] हो गयी है तथा प्रार्थी सं. 2 की माता को पठानी बाई व पठानी देवी दोनों नामों से जाना जाता था रिकार्ड में पठानी बाई दर्ज हो गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में पठानी बाई का नाम पठानी बाई उर्फ पठानी देवी तथा प्रार्थीगण की जाति अरोडा के स्थान पर ओड दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

4. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ छायाप्रति वारिस प्रमाण रामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है जिसमें रामस्वरूप के पठानी देवी पत्नी (मृतक) व राजेन्द्र कुमार पुत्र वारिस अंकित है। छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पठानी देवी पेश किया है जिसमें पिता/पति का नाम रामस्वरूप अंकित है। जमाबंदी में नाम पठानी बाई अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उनकी माता को पठानी बाई व पठानी देवी दोनों नामों से जाना जाता था। ऐसी स्थिति में न्यायहित में पठानी बाई के स्थान पर रिकार्ड में पठानी बाई उर्फ पठानी देवी दर्ज किया जाना उचित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त भूमि विरासतन दर्ज करते समय नामान्तरकरण में जाति ओड दर्ज थी जो जमाबंदी में अरोड़ा अंकित हो गयी है जो आदिनांक तक दर्ज चली आ रही है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि उक्त त्रुटि को शुद्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 13 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं. 38 का मु0नं. 13 प.नं. 220/411 का कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.198है. कमाण्ड मय खाला रकबा के काश्तकार/सहखातेदार के नाम पठानी बाई के स्थान पर पठानी बाई उर्फ पठानी देवी तथा काश्तकार/सहखातेदार मुलतानराम व पठानी बाई उर्फ पठानी देवी की जाति अरोड़ा के स्थान पर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:31 IST
Reason: SelfAttested